



2026:AHC-LKO:40122

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

मामले अंतर्गत अनुच्छेद 227 संख्या - 3125 सन 2026

डॉ० ऐश्वर्या पुंडीर

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

डॉ० हरीश चंद्र सिंह

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : निर्मित श्रीवास्तव, आछद नाथ, रमा शंकर सिंह

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिज़वी

सी.एम. आवेदन संख्या 0 सन 2026

1. आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमा शंकर सिंह ने आज न्यायालय में याचिका में संशोधन हेतु वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक/याचिकाकर्ता ने याचिका के प्रार्थना खंड 2 में निम्नलिखित संशोधन करने की प्रार्थना की है:-

"(ए) प्रथम पंक्ति में 'असाइड' शब्द के बाद तथा 'द' शब्द से पूर्व 'द पार्ट ऑफ़' शब्द लिखने की अनुमति प्रदान की जाए।

(बी) द्वितीय पंक्ति में दिनांक '22.04.2026' के बाद तथा 'पास्ड' शब्द से पूर्व 'ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द' आवेदन, जो आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 सिविल प्रक्रिया संहिता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के अंतर्गत है तथा पत्र संख्या (सी-6) धारण करता है, शब्द लिखने की अनुमति प्रदान की जाए।

3. आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रस्तावित संशोधन केवल औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे किसी भी प्रकार से याचिका की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि यदि वर्तमान संशोधन आवेदन को अनुमति दी जाती है, तो प्रतिवादी को किसी प्रकार की कोई हानि या प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
4. मांगे गए संशोधन की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान आवेदन को अनुमति दी जाती है।
5. आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को आज के दौरान याचिका में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
6. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त आवेदन को संख्या आवंटित करे।

याचिका पर आदेश

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमा शंकर सिंह को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांक 22.04.2026 के आक्षेपित आदेश को केवल उस सीमा तक निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है, जो कि आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या (सी-6) पर पारित आदेश से संबंधित है, जिसे विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन), लखनऊ द्वारा नियमित वाद संख्या 1003 सन् 2026 (ऐश्वर्या पुंडीर बनाम डॉ. हरीश चंद्र सिंह) में पारित किया गया था।
3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता एक सद्भावनापूर्ण पट्टेदार होने के नाते वादग्रस्त संपत्ति पर शांतिपूर्ण, निरंतर एवं विधिसम्मत कब्जे में है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि वर्ष 2021 में वादग्रस्त संपत्ति पर उसके विधिसम्मत कब्जे की शुरुआत से ही वह बिना किसी चूक के प्रतिवादी को नियमित रूप से सहमत किराया अदा करती आ रही है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता पेशे से एक डॉक्टर है और विवादित परिसर में एक चिकित्सा क्लिनिक संचालित करती है, जहाँ लगभग दस व्यक्तियों को स्टाफ एवं परिचारक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा रोगियों के विशेष उपचार एवं प्रक्रियाएँ करने के लिए आवश्यक कई अत्याधुनिक एवं महंगे चिकित्सा तथा कॉस्मेटिक उपकरण स्थापित हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का आरोप है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को अपना क्लिनिक बंद करने तथा वादग्रस्त संपत्ति से अपना व्यवसाय हटाने की धमकी दी। वादग्रस्त संपत्ति से बेदखल किए जाने की उक्त धमकियों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन), लखनऊ की न्यायालय के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया, जिसे नियमित वाद संख्या 1003 सन् 2026 के रूप में पंजीकृत किया गया।

5. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन, जो विधिवत शपथ-पत्र द्वारा समर्थित था, वाद के साथ दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ यह राहत मांगी गई थी कि प्रतिवादियों, उनके अभिकर्ता, सेवक एवं रिश्तेदारों को वादग्रस्त संपत्ति पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। उक्त आवेदन पर, विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) न्यायालय संख्या 41, लखनऊ ने दिनांक 22.04.2026 के आदेश द्वारा प्रतिवादियों/विपक्षियों को नोटिस जारी किया तथा प्रार्थना-पत्र (सी-6) के निस्तारण हेतु प्रकरण को 21.05.2026 के लिए नियत किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता ने उक्त आवेदन के माध्यम से विशेष रूप से न्यायालय के संज्ञान में प्रतिवादी द्वारा दी गई गंभीर तात्कालिक धमकियों एवं आपात स्थिति को लाया था, अधीनस्थ न्यायालय ने केवल आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया और आपत्तियां आमंत्रित करते हुए 21.05.2026 की तिथि नियत कर दी, बिना याचिकाकर्ता को कोई तत्काल अंतरिम संरक्षण प्रदान किए।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि नियत तिथि अर्थात् 21.05.2026 को, संबंधित बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य से निरंतर विरत रहने के कारण नियमित न्यायालयीय कार्यवाही बंद रखने संबंधी पारित प्रस्ताव के चलते, उक्त प्रकरण की सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि बार के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सदस्यों द्वारा हड़ताल एवं न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण, याचिकाकर्ता अपने अंतरिम निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन, जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है, के समयबद्ध निर्णय से वंचित रह गई है तथा ऐसी असाधारण, विवशकारी एवं विलक्षण परिस्थितियों में याचिकाकर्ता वस्तुतः किसी प्रभावी उपाय से वंचित हो गई है और उसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इस न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार-क्षेत्र का तत्काल संरक्षण प्राप्त करने हेतु आह्वान करने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभावी, त्वरित या वैकल्पिक उपाय शेष नहीं है, जिससे वादग्रस्त संपत्ति पर उसके वैध, शांतिपूर्ण एवं स्थापित कब्जे की रक्षा की जा सके तथा विपक्षी पक्ष के अवैध कृत्यों एवं मनमाने आचरण से उसके क्लिनिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निरंतर संचालन को सुरक्षित रखा जा सके।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर उपर्युक्त अंतरिम निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन के निस्तारण हेतु अगली नियत तिथि 27.07.2026 है।

8. इस तथ्य के कारण कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान न्यायालयों का नियमित कार्य नहीं होता है तथा इस अवधि में, विशेष रूप से जब बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सिविल न्यायालय का कार्य प्रभावित होता है, याचिकाकर्ता के समक्ष उत्पन्न खतरे की आशंका को देखते हुए, वादकारी के हितों की रक्षा अगली निर्धारित तिथि तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित करके की जा सकती है।

9. इस असाधारण परिस्थिति को देखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जा सकता है कि विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 41, लखनऊ, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत लंबित आवेदन संख्या (सी-6) पर यथाशीघ्र उचित आदेश पारित करें तथा संबंधित पक्षों को अनावश्यक स्थगन दिए बिना उसका निस्तारण करें, बशर्ते कि उक्त आवेदन के निस्तारण में याचिकाकर्ता द्वारा समुचित सहयोग प्रदान किया जाए।

10. तदनुसार, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि विवादित संपत्ति की प्रकृति एवं कब्जे के संबंध में आज की तिथि के अनुसार यथास्थिति पक्षकारों द्वारा उस अगली

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तिथि तक बनाए रखी जाएगी, जो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में निर्धारित है, अर्थात् 27.07.2026। यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र (सी-6) का गुण-दोष के आधार पर, संबंधित पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विधि के अनुसार कड़ाई से निर्णय करेगा तथा इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश से किसी प्रकार प्रभावित या पूर्वाग्रहग्रस्त हुए बिना उसका निस्तारण करेगा।

जून 3, 2026

अरुण

[न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।